न्यायालय संभागीय आयुक्त, बीकानेर संभाग, बीकानेर
पीठासीन अधिकारी डॉ. नीरज के. पवन, आई.ए.एस

अपील संख्या: 29/2021 एल.आर.एक्ट

GCMS No. 2021/38

लेखराज चावला पुत्र श्री गस्तानचन्द चावला निवासी मकान नं. 84 सी ब्लाक वार्ड नं. 21 रायसिंहनगर अध्यक्ष शिवमन्दिर कल्याण भूमि कमेटी, रायसिंहनगर।

—— अपीलान्ट

बनाम

राजस्थान सरकार।

—— रेस्पोन्डेंट

उपस्थितः श्री बालकिशन शर्मा – अभिभाषक अपीलांट
श्री मोहम्मद इम्तियाज अली – राजकीय अभिभाषक

निर्णय

दिनांक 15.02.2022

यह अपील राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75 के अन्तर्गत जिला कलक्टर श्रीगंगानगर के निर्णय दिनांक 03.05.2021 के विरुद्ध प्रस्तुत हुई है। अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि –

1– वादग्रस्त भूमि चक 23 पी.एस.(बी.) तहसील रायसिंहनगर के पत्थर नंबर 205/286 की 3.990 हैक्ट. भूमि है, जिसमें गौशाला एवं शिव मन्दिर श्मशान भूमि चल रही है में से किला नंबर 12,13,14,17 व 18 की कुल 0.576 हैक्ट. गैर मुमकिन ईंट भट्टा के नाम से दर्ज थी। उक्त भूमि को रकबाराज घोषित करते हुए श्मशान (भू–संस्कार) हेतु आरक्षित करने का आदेश जारी किया है। उक्त आदेश से व्यथित होकर अपीलांट ने इस न्यायालय में अपील प्रस्तुत की है।

2– विद्वान अभिभाषक अपीलांट श्री बालकिशन शर्मा ने अपनी बहस में कथन किया है कि जिला कलक्टर श्रीगंगानगर के आदेश दिनांक 03.05.2021 के द्वारा चक 23 पी.एस.(बी.) तहसील रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर के पत्थर नंबर 205/286 की 3.990 हैक्ट. भूमि जिसमें गौशाला एवं शिव मन्दिर श्मशान भूमि में से किला नंबर 12,13,14,17,18 की कुल 0.576 हैक्ट. गैर मुमकिन ईंट भट्टा के नाम से दर्ज भूमि को रकबा राज घोषित करते हुए श्मशान (भू–संस्कार) हेतु आरक्षित करने का आदेश गलत व इकतरफा तौर पर जारी किया गया है। अपील में जिन किलां को श्मशान भूमि के लिए आरक्षित करने का आदेश पारित किया गया है, उनमें पहले से ही शिव मन्दिर,

संभागीय आयुक्त
बीकानेर

गणेश मन्दिर व पक्षियों के चुग्गा डालने का स्थान बने हुए हैं। मौके पर मु.नं. 1 के किला नंबर 1,2,3 का आधा भाग, 8 का आधा भाग व 9,10 में पहले से ही श्मशान भूमि बनी हुई है, जो नगर पालिका द्वारा निर्मित है। इसप्रकार इन किलां में श्मशान भूमि पहले से ही होते हुए इस मुरब्बा के किला नंबर 12,13,14,17 एवं 18 में कानूनन न तो श्मशान भूमि आरक्षित की जा सकती है और न ही बनाई जा सकती हैं इसप्रकार जिन किलां में शिव मन्दिर, गणेश मन्दिर व पक्षियों के चुग्गे का स्थान बना हुआ है, को श्मशान भूमि हेतु आरक्षित करना गलत है। अतः जिला कलक्टर श्रीगंगानगर का उक्त आदेश निरस्त किये जाने योग्य है।

3— राजकीय अभिभाषक ने अपनी बहस के दौरान कथन किया कि जिला कलक्टर श्रीगंगानगर का आदेश दिनांक 03.05.2021 जिसके द्वारा रकबा राज भूमि राजस्थान उपनिवेशन अधिनियम 1954 की धारा 10 के प्रावधानों के अन्तर्गत श्मशान (भू–संस्कार) हेतु आरक्षित की गई है, जो उचित है।

4— हमने जिला कलक्टर श्रीगंगानगर एवं इस न्यायालय की पत्रावली में उपलब्ध अभिलेख तथा उभय पक्ष की बहस का ध्यान पूर्वक अवलोकन एवं मनन किया। चक 23 पी.एस.(बी.) तहसील रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर के पत्थर नंबर 205/286 की 3.990 हैक्ट. भूमि जिसमें गौशाला एवं शिव मन्दिर श्मशान भूमि में से किला नंबर 12,13,14,17,18 की कुल 0.576 हैक्ट. गैर मुमकिन ईंट भट्टा के नाम से दर्ज भूमि है। उक्त भूमि को रकबा राज घोषित करके श्मशान (भू–संस्कार) हेतु आरक्षित किया गया है। अधिनस्थ कार्यालयों द्वारा किया गया मौका निरीक्षण एवं तकनीकी परीक्षण की जांच प्रतिवेदनों को मध्यनजर रखते हुए जिला कलक्टर श्रीगंगानगर के आदेश दिनांक 03.05.2021 उचित प्रतीत होता है। हम जिला कलक्टर श्रीगंगानगर के उक्त आदेश में किसी प्रकार का हस्तक्षेप करना उचित नहीं समझते है। अतः जिला कलक्टर श्रीगंगानगर के आदेश दिनांक 03.05.2021 को यथावत रखते हुए अपील अपीलांट इसी स्तर पर खारिज की जाती है।

6— निर्णय आज दिनांक 15.02.2022 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। तद्नुसार अपील अपीलांट निर्णित शुमार होकर नम्बर से कम हो। निर्णय की प्रति पत्रावली में शामिल की जाकर पत्रावली बाद तरतीब तकमील दाखिल दफ्तर हो।

(डॉ. नीरज के. पवन)
संभागीय आयुक्त
बीकानेर